



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02102026-276719
CG-DL-E-02102026-276719

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5193]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 30, 2026/आश्विन 8, 1948

No. 5193]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 30, 2026/ASVINA 8, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2026

का.आ. 5402(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग(O) के तहत EPC मोड़ पर, राष्ट्रीय राजमार्ग-33 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग-20) के कि.मी. 92.885 से कि.मी.97.920 तक के चट्टपालु घाटी खंड में ब्लैक स्पॉट स्थलों के सुधार हेतु के लिए अर्जन के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी अर्थात् जिला भू-अर्जन पदाधिकारी रांची को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी

विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग(O) के तहत EPC मोड़ पर, राष्ट्रीय राजमार्ग-33 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग-20) के कि.मी. 92.885 से कि.मी.97.920 तक के चुटूपालु घाटी खंड में ब्लैक स्पॉट स्थलों के सुधार हेतु के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: झारखंड			जिले का नाम: राँची		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: ओरमाँझी					
गांव का नाम: चुटूपालु					
1	1000	निजी	दोन एक	0.0766 (हेक्टेयर)	0.0766
2	1001	निजी	दोन एक	0.0559 (हेक्टेयर)	0.0559
3	1002	निजी	दोन दो	0.0867 (हेक्टेयर)	0.0867
4	1003	निजी	टाँड तीन	0.1885 (हेक्टेयर)	0.1885
5	1004	सरकारी	टाँड तीन	0.0063 (हेक्टेयर)	0.0063
6	1005	निजी	टाँड तीन	0.1644 (हेक्टेयर)	0.1644
7	1009	निजी	परती कदीम	0.3042 (हेक्टेयर)	0.3042
8	1033	सरकारी	जंगल झाड़ी	1.0373 (हेक्टेयर)	1.0373
9	1035	निजी	परती कदीम	0.0038 (हेक्टेयर)	0.0038
10	1037	निजी	टाँड तीन	0.0601 (हेक्टेयर)	0.0601
11	1038	निजी	टाँड तीन	0.0051 (हेक्टेयर)	0.0051
12	1048	सरकारी	जंगल झाड़ी	0.0212 (हेक्टेयर)	0.0212
13	1069	सरकारी	जंगल झाड़ी (जंगल झाड़ी)	0.1773 (हेक्टेयर)	0.1773
14	1116	सरकारी	जंगल झाड़ी	0.0932 (हेक्टेयर)	0.0932
15	1639	निजी	परती कदीम	0.0484 (हेक्टेयर)	0.0484
16	1640	निजी	टाँड तीन	0.1355 (हेक्टेयर)	0.1355

17	906	सरकारी	जंगल झाड़ी	0.73 (हेक्टेयर)	0.73
18	913	निजी	टाँड तीन	0.0081 (हेक्टेयर)	0.0081
19	924	सरकारी	सड़क (सड़क)	0.8234 (हेक्टेयर)	0.8234
20	935	निजी	परती कदीम	0.0358 (हेक्टेयर)	0.0358
21	936	निजी	टाँड एक	0.0012 (हेक्टेयर)	0.0012
22	940	सरकारी	जंगल झाड़ी	0.0088 (हेक्टेयर)	0.0088
23	954	सरकारी	जंगल झाड़ी (जंगल झाड़ी)	0.0039 (हेक्टेयर)	0.0039
24	968	निजी	टांड तीन	0.0152 (हेक्टेयर)	0.0152
25	978	निजी	दोन एक	0.0641 (हेक्टेयर)	0.0641
26	979	निजी	टाँड एक	0.0725 (हेक्टेयर)	0.0725
27	980	निजी	दोन दो	0.0619 (हेक्टेयर)	0.0619
28	983	निजी	टाँड तीन	0.0544 (हेक्टेयर)	0.0544
29	984	निजी	दोन एक	0.0621 (हेक्टेयर)	0.0621
30	990	सरकारी	परती कदीम	0.526 (हेक्टेयर)	0.526
31	992	निजी	दोन एक	0.1446 (हेक्टेयर)	0.1446
32	996	निजी	टाँड तीन	0.0072 (हेक्टेयर)	0.0072
33	997	निजी	दोन तीन	0.0253 (हेक्टेयर)	0.0253
34	998	निजी	टांड तीन	0.0103 (हेक्टेयर)	0.0103
35	999	निजी	दोन एक	0.1845 (हेक्टेयर)	0.1845
Total					5.3038

[फा. सं. NHAI/BOT/11019/13/2003/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th September, 2026

S.O. 5402(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of Rectification of Black Spot Locations of Chutupalu Ghati from Km. 92.885 to Km. 97.920 on NH33(New NH-20) Under NH(O) on EPC Mode in the stretch of land in the village(s) namely- Chultupalu Taluk- Ormanjhi in the district of RANCHI in the state of JHARKHAND hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, CALA cum DLAO Ranchi in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling Within the stretch of land for Rectification of Black Spot Locations of Chutupalu Ghati from Km. 92.885 to Km. 97.920 on NH33(New NH-20) Under NH(O) on EPC Mode in the state of JHARKHAND.

State: JHARKHAND			District: RANCHI		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Ormanjhi					
Village: Chutupalu					
1	1000	Private	Don Ek	0.0766 (Hectare)	0.0766
2	1001	Private	Don Ek	0.0559 (Hectare)	0.0559
3	1002	Private	Don Do	0.0867 (Hectare)	0.0867
4	1003	Private	Tand Tin	0.1885 (Hectare)	0.1885
5	1004	Government	Tand Tin	0.0063 (Hectare)	0.0063
6	1005	Private	Tand Tin	0.1644 (Hectare)	0.1644
7	1009	Private	Parti Kadim	0.3042 (Hectare)	0.3042
8	1033	Government	Jangal Jhadi	1.0373 (Hectare)	1.0373
9	1035	Private	Parti Kadim	0.0038 (Hectare)	0.0038
10	1037	Private	Tand Tin	0.0601 (Hectare)	0.0601
11	1038	Private	Tand Tin	0.0051 (Hectare)	0.0051
12	1048	Government	Jangal Jhadi	0.0212 (Hectare)	0.0212
13	1069	Government	Jangal Jhhadi (JUNGAL JHADI)	0.1773 (Hectare)	0.1773
14	1116	Government	Jangal Jhhadi	0.0932 (Hectare)	0.0932
15	1639	Private	Parti Kadim	0.0484 (Hectare)	0.0484

16	1640	Private	Tand Tin	0.1355 (Hectare)	0.1355
17	906	Government	Jangal Jhadi	0.73 (Hectare)	0.73
18	913	Private	Tand Tin	0.0081 (Hectare)	0.0081
19	924	Government	Sadak (Sadak)	0.8234 (Hectare)	0.8234
20	935	Private	Parti Kadim	0.0358 (Hectare)	0.0358
21	936	Private	Tand Ek	0.0012 (Hectare)	0.0012
22	940	Government	Jangal Jhadi	0.0088 (Hectare)	0.0088
23	954	Government	Jangal Jhhadi (JUNGAL JHADI)	0.0039 (Hectare)	0.0039
24	968	Private	Tand Tin	0.0152 (Hectare)	0.0152
25	978	Private	Don Ek	0.0641 (Hectare)	0.0641
26	979	Private	Tand Ek	0.0725 (Hectare)	0.0725
27	980	Private	Don Do	0.0619 (Hectare)	0.0619
28	983	Private	Tand Tin	0.0544 (Hectare)	0.0544
29	984	Private	Don Ek	0.0621 (Hectare)	0.0621
30	990	Government	Parti Kadim	0.526 (Hectare)	0.526
31	992	Private	Don Ek	0.1446 (Hectare)	0.1446
32	996	Private	Tand Tin	0.0072 (Hectare)	0.0072
33	997	Private	Don Tin	0.0253 (Hectare)	0.0253
34	998	Private	Tand Tin	0.0103 (Hectare)	0.0103
35	999	Private	Don Ek	0.1845 (Hectare)	0.1845
Total					5.3038

[F. No. NHAI/BOT/11019/13/2003/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director